परिशिष्ट - 1 [21/12/2022] (1/2)

कार्यालय मुख्य अभियंता

नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इन्दौर

प्रश्न संख्या [क्र. 1103]

दूरभाष: 0731-2497662, फेक्स नं. 0731-2492235 email: ce.ntb.wrd.ind@mp.gov.in

आदेश क. 03/ A /सा-1/ न.ता/कालीसूची/2018 इन्दौर, दिनांक 16/08/2022

//आदेश//

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क-1, धार के अंतर्गत टर्न की आधार पर कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के ओगी स्पीलवे, आवेरफ्लो एवं नान ओवरफ्लो, सेक्शन, स्लूस, मिट्टी का बाँध एवं इससे संबंधित कार्य तथा रेडियल गेट एवं गेन्ट्री क्रेन का प्रदाय तथा स्थापना आदि का सम्पूर्ण कार्य अनुबंध क्रमांक 02/टी/2018-19 दिनांक 10.08.2018 के तहत राशि रूपये 99,86,95,000.00 का मेसर्स ए.एन.एस. कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को आवंटित किया गया था। इस ठेके में आप मेसर्स सारथी कन्स्ट्रक्शन, ग्वालियर को 50 प्रतिशत कार्य करने की अनुमति कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क-1, धार द्वारा उनके पत्र कमांक 1729/आ.धामनोद/20/धार दिनांक 13.08.2020 के द्वारा अनुबंध की धारा 23.1, 23.2, 23.3 में निहित प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई थी। इस कार्य में आप ए.एन.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी के सहभागीदार होने के नाते कार्य संपन्न होने तक संयुक्त रूप से उत्तरदायी थे।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क-1, धार के अंतर्गत टर्न की आधार पर कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु मेसर्स ए.एन.एस. कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को आवंटित ठेके के अंतर्गत आप मेसर्स सारथी कन्स्ट्रक्शन ग्वालियर को 50 प्रतिशत कार्य करने की अनुमति कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क-1, धार द्वारा उनके पत्र कमांक 1729/आ.धामनोद/20/धार दिनांक 13.08.2020 के द्वारा अनुबंध की धारा 23.1, 23.2, 23.3 में निहित प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई थी।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क-1, धार द्वारा समय समय पर जारी सुचना पत्रों, साईट ऑडर बुक एवं समय समय पर अन्य दिये गये मौखिक निर्देशों के बावजुद भी कार्य को अनुबंध अनुसार निर्धारित समय एवं समुचित तरीके से संपादित नहीं किया गया। जिसके कारण निर्माणाधीन बाँध में वर्षा का पानी भरने से दिनांक 11.08.2022 को रिसाव शुरू हो गया तथा दिनांक 12.08.2022 को बाँध के इम्बैंकमेन्ट स्लिप होना शुरू हो गये थे। इस संकट की स्थिति को टालने के लिए 18 ग्रामों को खाली करवाने एवं ग्रामीणों के पशुधन एवं जान-माल की सुरक्षा हेतु एस.डी.आर.एफ. एवं एन.डी.आर.एफ. की टीमों को बुलवाना पड़ा एवं पूरी प्रशासनीक टीम लगाकर बाँध के किनारे से कट लगाकर बाँध को पूर्णरूपेण खाली करना पड़ा।

उपरोक्त विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, इंदौर के पत्र कमांक 1279/सा/ज.सं.मं./2022/दिनांक 16.08.2022 की अनुशंसा अनुसार म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश कमांक एफ-17-1/2010/19/बी/243-244/आदेश दिनांक 24.03.2015 की कंडिका-9 में निहित प्रावधान के अंतर्गत, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीयकृत ठेकेदार पंजीयन प्रकोष्ठ भोपाल) द्वारा जारी आपका पंजीयन प्रमाण-पत्र EC180043908 संवर्ग सिविल पंजीयन दिनांक 01.01.2018 आई.डी. कमांक PWD170022163, इस पत्र के जारी होने के दिनांक से निलंबित करते हुए ठेकेदारों की काली सूची में सूचीबद्ध किया जाता है।

इस पंजीयन निलंबन की अवधि में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे :-

1. फर्म का पंजीयन निलंबन अवधि में नवीन पंजीयन अथवा पंजीयन नवीनीकरण नहीं होगा।
2. फर्म के निलंबित किसी भी भागीदार का भी किसी दूसरे नाम से पंजीयन नहीं होगा।
3. नवीन निविदा-प्रतिस्पर्धा में स्वयं के नाम पर अथवा भागीदारों के नाम पर भाग नहीं ले सकेंगे।
4. किसी भी फर्म में भागीदार, उभयनिष्ठ होने पर वह फर्म भी निविदा प्रतिस्पर्धा हेतु प्रतिबंधित रहेगी।
5. किसी भी श्रेणी में निविदा प्रपत्र कय करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
6. यदि निविदा प्राप्त होती भी है तो अनर्हत (Ineligible) मानी जावेगी एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित की जावेगी।

16/08/22
(सी.एस. घंटोले)
मुख्य अभियंता
नर्मदा ताप्ती कछार,

पृष्ठां. क. 03 / B / सा–1 / न.ता / कालीसूची / 2018 इन्दौर, दिनांक 16 / 08 / 2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल ।
6. पुलिस महानिदेशक, भोपाल ।
7. आयुक्त, म.प्र. ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
8. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल विभाग, भोपाल ।
9. महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
10. प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
11. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
12. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
13. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग, भोपाल ।
14. सदस्य अभियांत्रिकीय, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
15. मुख्य अभियंता, बोधी जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)
16. मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)
17. मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा (म.प्र.)
18. मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परियोजना, जल संसाधन विभाग, दतिया (म.प्र.)
19. मुख्य अभियंता, धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर (म.प्र.)
20. मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग,ग्वालियर (म.प्र.)
21. मुख्य अभियंता, बैन गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी(म.प्र.)
22. मुख्य अभियंता, वि. / यॉ., जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)
23. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन (म.प्र.)
24. मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेन्ट) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
25. अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेन्ट) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
26. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, इन्दौर / खरगोन ।
27. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क–1, धार (म.प्र.)।
28. कार्यपालन यंत्री (अधीनस्थ नर्मदा ताप्ती कछार), जल संसाधन संभाग,............................... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
29. मेसर्स सारथी कन्स्ट्रक्शन, 102, ड्रीम अपार्टमेन्ट, 369 जीवाजी नगर, थाटीपुर ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.) –474011 ।
30. वेब मेनेजर कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रविष्ठि हेतु अग्रेषित ।

नोटिस बोर्ड (द्वारा नोटिस बोर्ड प्रभारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/08/22

मुख्य अभियंता
नर्मदा ताप्ती कछार,
जल संसाधन विभाग, इन्दौर